

प्रसार भारती
आकाशवाणी महानिदेशालय
सामान्य प्रशासन अनुभाग

स० डी० - 19014/1/2010- सा० प्र०

नई दिल्ली, दिनांक 07.04.2011

सेवा में,

स० प्र०/अ०. ५२ ३५१०६६ सूची
के अंतर्गत 1

विषय : निदेशालय में स्थित हॉटकेस के रख - रखाव व मरम्मत के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु
टेका देने के संबंध में।

महोदय,

आकाशवाणी महानिदेशालय में स्थित हॉटकेसों के रख-रखाव व मरम्मत आदि के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए टेका दिये जाने हेतु अनुलग्नक में दी गई निबंधन एवं शर्तों पर सीमित निविदा पुछताछ आमंत्रित की जाती है।

सीमित निविदा पुछताछ सीलबंद लिफाफे में, जिस पर "हॉटकेस की रख-रखाव व मरम्मत के लिये निविदा" लिखा हो और निविदा में अपना टेलीफाने नम्बर, जिस पर आसानी से संपर्क किया जा सके, लिखा होना आवश्यक है। सीमित निविदा पुछताछ के साथ 'बिड सिक्योरिटी' के लिए पेशगी के तौर पर रु० २००० (रुपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि पी .बी .(बी .सी.आई.) डी .जी .ए .आई .आर., नई दिल्ली के नाम पर हो, सलगनें करे। पेशगी रकम के बिना किसी भी सीमित निविदा पुछताछ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन निविदाकर्ताओं की दरें स्वीकृत नहीं की जायगी उनके द्वारा जमा पेशगी रकम सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम आधार पर टेका प्रदान करने के पश्चात, लौटा दी जाएगी।

सफल निविदाकार को 'परफोरमेंस सिक्योरिटी' के तौर पर रु.२०००/- रुपये दो हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कि पी .बी .(बी .सी.आई.) डी .जी .ए .आई .आर., नई दिल्ली के नाम पर हो, जमा कराना होगा। सभी निविदायें निम्नलिखित पते पर निविदा पेटी में दिनांक 28.04.2011 को ३.०० बजे तक या इससे पूर्व डाली जाएं। निविदाएं उसी दिन ३.३० बजे अपराह्न कमरा नं.२२२ में, मौके पर इच्छुक निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा :-

उपनिदेशक प्रशासन (सा० प्रा०),
कमरा न० 218, आकाशवाणी भवन,
आकाशवाणी महानिदेशालय,
संसद मार्ग, नई दिल्ली - ११०००९

जारी पृष्ठ 2/-.....

सक्षम अधिकारी को इस संबंध में अधिकार है कि वे किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये नामंजूर कर सकते हैं।

निम्न प्रकार की सीमित निविदा पुछताछ अपूर्ण व बिना मंगवाई मानी जाएंगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा:-

१. सीमित निविदा पुछताछ हस्ताक्षरित न हो।
२. आवश्यक 'बिड सिक्योरिटी' प्रस्तुत न की गई हो।
३. अपूर्ण, अस्पष्ट व देर से प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
४. सीमित निविदा पुछताछ की वैधता आवश्यक कार्यकाल एक महीने से कम न हो।
५. निविदाकार 'परफोरमेंस सिक्योरिटी' देने में असहमत हो।
६. निविदाकार, अनुबन्ध में दी गई अतिआवश्यक शर्तों से असहमत हो।
७. निविदाएं खोलने की तिथि से एक महीने तक निविदा मान्य रहेगी ताकि यह महानिदेशालय निविदाओं पर विचार कर निर्णय कर सके।
८. निविदाकार अपनी निविदा में हॉटकेस के रख-रखाव व मरम्मत हेतु एक मुश्त दर (Lumpsum/comprehensive rate) एकमुश्त / व्यापक दर भर कर दें।

इस सूचना की जांच के पाठ उद्धरण निचे दीखाई गई आकाशवाणी महानिदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:-

<http://www.allindiaradio.org>.

रामेश मशरूम
3/4/2011

(आर० के० डल)
उपनिदेशक प्रशासन (सा० प्र०)

निबंधन एवं शर्तें

1. यह ठेका सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के बाद से आगे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
2. हार्टेकेस को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए रखरखाव, सामान व पुर्जों को बदलने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इन मदों पर आने वाले खर्च का वहन स्वयं फर्म करेगी, अतः इनके लिये महानिदेशालय की ओर से अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. फर्म द्वारा एक मैकेनिक का प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है एवं सुबह 99.00 बजे से पहले मिली मरम्मत से संबंधित शिकायतों को उसी दिन ठीक करना होगा।
4. यदि फर्म द्वारा नियुक्त आदमी द्वारा कोई कार्य Attend नहीं किया गया तो उस कार्य को यह महानिदेशालय किसी अन्य फर्म से पूर्ण करवा लेगा जिसका भुगतान उसी फर्म को करना होगा जिसको ठेका पहले ही दिया गया था।
5. बिना कोई कारण बताए यह महानिदेशालय इस ठेके को कभी भी समाप्त कर सकता है।
6. यदि इस ठेके पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आकाशवाणी महानिदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
7. रखरखाव के शुल्क का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त के भुगतान पर ठेका आरम्भ होने के छह माह के बाद विचार किया जायेगा तथा दूसरी किश्त का भुगतान ठेके की समय अवधि की समाप्ति के उपरान्त कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर किया जाएगा।
8. सफल निविदाकार को 'परफोरमेंस सिक्योरिटी' के तौर पर रु.२०००/- रुपये दो हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कि पी .बी .(बी .सी.आई.) डी .जी .ए .आई .आर., नई दिल्ली के नाम पर हो, जमा कराना होगा। इसकी अवधि एक साल होनी चाहिए क्योंकि यह ठेके की पूर्ण और संतोषजनक सफलता सुनिश्चित करने हेतु है।

21/02/2011
2/4/2011

(आर० के० डल)
उपनिदेशक प्रशासन (सा० प्र०)